


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन गांधी के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शिखर व भू अभिलेख निरीक्षक जीनगर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गाजुणा पटवार हल्का शिखर तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 198, 199, 322 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|--------|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गाजुणा | 198, 199, 322 | मदन कंवर पत्नी रामसिंह निरमा कंवर पि. रामसिंह | मदन कंवर पत्नी वच्चुकवर पत्नी राम सिंह राजपुर निरमा कंवर निम्ला कंवर राम सिंह राजपुर |


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)

दिनांक:- 15/12/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)

